न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 124/2010 प्रार्थना पत्र 14(4)

1.सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र चिंरजीलाल जाति मीना निवासी कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा
...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू-आवण्टन नियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-1. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 25.02.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.2001 को ग्राम कमालपुर तहसील महवा के आ0ख0नं0 9/5 रकबा 0.03है0 व खसरा नं0 12/3 रकबा 0.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी को आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.2001 को आवंटित की गई भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व गैर मुमकिन नदी होने के कारण तहसीलदार द्वारा यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि अप्रार्थीगण को दिनांक 26.11.2001को ग्राम कमालपुर तहसील महवा के आ0ख्ख0नं0 9/5 रकबा 0.03 है0 व खसरा नं0 12/3 रकबा 0.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। हाल खसरा नं0 9/5,12/3 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि साबिक खसरा नं0 467 रकबा 6.50 भूमि से बने है। तथा भू प्रबन्ध से पूर्व आवंटित भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड थी। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि की किस्म बदलकर सिवायचक दर्ज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे दिनांक 02.08.2004 मे पारित निर्णय के अनुसार गैर मुमकिन नदी भूमि को मूल स्वरूप मे दर्ज किये जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16की उपधारा 2 के तहत नदी तल अथवा तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी कृषि के

लिए प्रयुक्त हो, ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नही होगे। नियमानुसार गैर मुमकिन नदी भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित नहीं हुआ। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को भूमि का आवंटन किया गया। किंतु आवंटित की गई भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व गैर मुमकिन नदी होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है। आवंटित भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे दिनांक 02.08.2004 मे पारित निर्णय के अनुसार गैर मुमकिन नदी भूमि को मूल स्वरूप मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16की उपधारा 2 के तहत नदी तल अथवा तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी कृषि के लिए प्रयुक्त हो, ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नही होगे। पत्रावली मे संलग्न भू प्रबंध से पूर्व की नकल जमाबंदी अनुसार खसरा नं0 1 रकबा 127 बीघा 16 बिस्वा भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम बलीन तहसील महवा के साबिक खसरा नं0 467 रकबा 6.50 हाल खसरा नं0 12/3,9/5 बने है। जिसका आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.2001 को अप्रार्थी को आवंटन किया गया। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय की पालना मे गैर मुमकिन नदी भूमि का आवंटन प्रतिबंधित होने से आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 26.11.2001 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा